पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकारी तौर पर है/अवकाश पर है। पत्रावली ईस्तमा होकर दिनांक 20/8/24 को पेश हो

18/3/24

20/8/24 पत्रावली पेश हुई। वादी व अभि० अभि० वादी व अभि० सुनी गई। अभि० पक्षकारान ऐकरी की यथास्थिति बनाये रखने के लिए नहीं करने बाबत सहमत है। वादी व अभि० सुनी जाकर अभि० पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह मूल वाद के निस्तारण व राजस्व ग्राम रियां के खसरा संख्या 742 की राजस्व ऐकरी की यथास्थिति बनाये रखने के लिए कार्य नहीं करें। पत्रावली ईस्तमा होकर जाबते से कम है एक दायित्व रफता है व मूल वाद के नाम नत्थी हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बीपाड़ सहर (जोधपुर)